## TIMES NATION

TIMES OF INDIA, NEW DELHI INESDAY, MARCH 23, 2016



## यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, पी-2, सैक्टर ओमेगा-1 ग्रेटर नौएडा — 201308, जिला— गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०) - दूरमाष नं.: 0120—2395201 फैक्स नं0: 0120—2395150

## सार्वजनिक सूचना

- एतदद्वारा सर्वसाधाएण को सूचित किया जाता है कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 55वीं बोर्ड बैठक में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास क्षेत्र की द्वितीय चरण की महायोजना के अन्तर्गत 02 नगरीय केन्द्रों टप्पल-बाजना व राया के विकास हेतु प्रस्तावित महायोजनाओं में यमुना एक्सप्रेसवे पर एंट्री एक्सिट / इंटरचेन्ज के निकट चिन्हित किए गए छोटे अर्बन नोड के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया है।
- 2. सर्वसाधारण के निरीक्षण के लिए उसकी प्रति यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के कार्यालय में सभी कार्य दिवसों तथा प्राधिकरण कि वेबसाईट www.yamunaexpresswayauthority.com पर उपलब्ध रहेगी।
- एतदद्वारा इस योजना के प्रारूप के सम्बन्ध में अपत्तियां और सुझाव आमन्त्रित किये जाते है।
- 4. आपित्तयां और सुझाव मुख्य कार्यपालक अधिकारी यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्रथम तल, कॉमिशंयल काम्पलैक्स, सैक्टर —पी —2, ओमेगा, ग्रेटर नौएडा, जनपद—गौतमबुद्ध नगर को लिखित रूप से सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिवसों तक भेजे जा सकते हैं।
- 5. आपत्तियां और सुझाव देने वाले व्यक्ति को अपना नाम, पता एवं दूरभाष संख्या देना आनिवार्य है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

राज्यास सम्माह्म का सामन किया जाता है कि यमुना एक्सप्रेसरे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 55वीं बोर्ड बेटक में यमुना एक्सप्रेसरे औद्योगिक विकास क्षेत्र की द्वितीय करण की महायोजना के प्रस्तावित महायोजनाओं में यमुना एक्सप्रेसवे पर एड्री एक्सिट / इटरचेन्ज के निकट विन्हित किए गए छोटे अर्बन नोड के प्रस्ताव पर अनुमोदन थम तल, कॉमिशियल कॉम्मलेक्स, पी-2; सैक्टर ओमेगा-स्वसाधारण के निराह्मण के लिए उसकी प्रति यमुना एक्सप्रेस्ते औद्योगिक विकास प्राष्टिकरण के कार्यालय में सभी कार्य दिवसों तथा प्राधिकरण कि वेबसाईट www.yamunaexpresswayauthority.com पर गेटर गौएडा — २०१३०८, जिला— गौतमबुद्ध नगर (द्यवप्रत) दूरगाय ने. ११२०–२३९५०, फैन्स नंव ११२०–२३९६१५० अन्तर्गत 02 नगरीय केन्द्रों टप्पल-बाजना व रामा के विकास हेत् आपितियां और सुझाव मुख्य कार्यपालक अधिकारी यमुना एक्सप्रेसते मुख्य कार्यपालक अधिकारी यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्रथम तल, कॉमशियल काम्पेलेक्स, सैक्टर जनपद-गौतमबुद्ध नगर को लिखित रूप अमितियां और सुझाव देने वाले व्यवित को अपना नाम, पता एव दूरमाष अपितियां और से स्वना प्रकाशन की तिथि से 15 दिवसों तक मेजे जा सकते हैं सर्वसाधारण के निरीक्षण के लिए उसकी प्रति 壮 सार्वजनिक स्वना सम्बन्ध को स्वित 18 एतंदद्वारा इस योजना के प्रारूप -पी -2 ओमेगा, येटर नौएडा, आमित्रत किये जाते है। संख्या देना आनिवार्य है। प्रदान किया गया है उपलब्ध एहेगी

## PROPOSED LANDUSE PLAN -2031 FOR TAPPAL-BAJNA URBAN CENTRE YAMUNA EXPRESSWAY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AREA (PHASE - II) LEGEND RESIDENTIAL SH-22A COMMERCIAL DELHI PALWAL INDUSTRIAL OFFICES PUBLIC & SEMI-PUBLIC PUBLIC UTILITIES SPECIAL AREA / MIXED USE TRANSPORTATION PARK & PLAYGROUND RECREATIONAL GREEN GREEN BELT SPECIALIZED INSTITUTIONS Node RIVER CONSERVATION ZONE RIVER / CANAL / DRAIN LAKE / POND VILLAGE ABADI INTERCHANGE ROAD NETWORK 75m ROW = 60m ROW 45m ROW YEIDA Phase-II AREA BOUNDARY URBAN CENTRE BOUNDARY Stage-2 of NODE-02 BOUNDARY Node-3 NODE-03 BOUNDARY **EXISTING UNDERPASS** PROPOSED UNDERPASS Stage-2 of Node-2 Node-2 Administrative Boundaries viz. YEIDA P-II, Urban Local Boundari Administrative Boundaries viz. YEIDA P-II, Urban Local Boundaries are based on the data collected fro Survey of India and UP Administrative Atlas, Census of India, 2001 and shall be determined as per Village Revenue Maps. Abadi areas are marked from Cartosat Satellite Imagery at 2.5m Resolution (Procured in May 2011) and shall be demarcated as per Revenue Records and Detailed Survey. Forest shown is based on Survey of India Toposheets. All Forest areas shall be determined as per the Revenue Records of Forest Department. All Water Bodies including River, Ponds, Canals, Drains etc. are based on available secondary sources and shall be determined as per Revenue Records. National Highway & State Highway shall be widened as per the Right of Way reserved by respective Authorities. YAMUNA EXPRESSWAY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY